वादिया एवं प्रतिवादिया के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन के बाद वादिया एवं प्रतिवादिया द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वादपत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत वादपत्र में वर्णित तहसील हनुमानगढ़ में प्रतिवादिया–अनीदेवी के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 2 एम.डब्ल्यू.एन. के संयुक्त खाता संख्या 3/4 पत्थर नम्बर 133/239 (27) किला नम्बर 25/2/.025, पत्थर नम्बर 132/240 (29) किला नम्बर 15/.038, 16/.240, 17/.177, 18/.012, 21/.013, 22/.089, 23/.228, 24, 25 व पत्थर नम्बर 133/241 (45) किला नम्बर 1 ता 25 व पत्थर नम्बर 132/241 (46) के किला नम्बर 1 ता 20 कुल 12.6500 हैक्टेयर में से प्रतिवादिया संख्या 1 अनीदेवी के नाम दर्ज 8.830 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादिया–कलावती को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त संयुक्त खाता संख्या 3/4 से प्रतिवादिया संख्या 1 अनीदेवी का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 27-11-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सह(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलैक्टर
हनुमानगढ़

मिलान किया

.....

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner